



प्रारूप-III {स्कीम-III के पैरा के उप-पैरा (5) को देखें}  
Form III (Refer Sub-Para (5) of Para 3 of Scheme III)

# भारतीय मानक ब्यूरो BUREAU OF INDIAN STANDARDS

## गुणता प्रबंध पद्धति प्रमाणन लाइसेंस

### LICENCE FOR THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS CERTIFICATION

राष्ट्रीय प्रत्ययन प्रमाणन निकाय बीई, नई दिल्ली द्वारा प्रत्यायित  
(Accredited by National Accreditation Board for Certification Bodies, New Delhi)

लाइसेंस सं.-क्यूएम/एल- 5003379.1

**Licence NO. QM/L-5003379.1**

भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016(2016 का 11) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के नाते, कोल इंडिया लि०, कोल भवन, प्रेमिसेस सं - 04, एमएआर, प्लॉट सं एएफ-III, एक्शन एरिया 1ए, न्यू टाउन राजरहाट, कोलकाता - 7000156, पश्चिम बंगाल को मंजूरी देता है/पुनः प्रमाणन देता है (जिसे इसमें इसके पश्चात इसे अनुज्ञसिधारी कहा गया है) इस अनुसूची में वर्णित विशेष तौर पर उत्पाद एवं/या सेवाओं या प्रक्रियाओं के संबंध में गुणवत्ता प्रबंध पद्धति प्रमाणन के अनुज्ञसिधारकों की ब्यूरो की सूची में अनुज्ञसि के अनुसार इसी संख्या धारक को अधिकार एवं अनुज्ञसि सूचीबद्ध किया जाए। आईएस/आईएसओ 9001:2015 के अनुसार गुणवत्ता प्रबंध प्रणाली के अधीन उक्त किए गये पते पर केवल अनुज्ञसिधारक धारक द्वारा ऐसे उत्पाद एवं/या सेवाओं या प्रक्रियाओं को निर्मित किया/उपलब्ध कराया/चलाया जायेगा।  
By virtue of the power conferred on it by, the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Bureau hereby grants/recertifies to **M/s. Coal India Ltd., Coal Bhawan, Premises No. - 04, MAR, Plot No. AF-III, Action Area 1A, New Town Rajarhat, Kolkata - 7000156, West Bengal** (hereinafter called the Licensee) the right and licence to be listed in the Bureau's list(s) of Licensee of Quality Management Systems Certification in respect of the products and/or services or processes particularly described in the schedule hereto, bearing the same number as this licence. Such products and/or services or processes shall be manufactured/provided/carried out by the Licensee at only the address(es) given above, and under the Quality Management Systems in accordance with IS/ISO 9001 : 2015.

अनुज्ञसि उक्त अधिनियम और उनके अधीन नियमों तथा विनियमों के संबंधित उपबंधों की शर्त पर मंजूर-किया-गया है/पुनः प्रमाणन दिया गया है तथा उक्त संदर्भित अनुज्ञसियों को इसके तहत शासित किया जाता है, तथा अनुज्ञसिधारक उक्त नियमों एवं विनियमों का पालन किए जाने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध है।


The licence is granted/recertified subject to the relevant provisions of the above Act and the rules and regulations made thereunder governing the licences referred to above, and the Licensee hereby covenants with the Bureau duly to observe with the said Rules and Regulations यह अनुज्ञसि तारीख 27 अक्टूबर 2019 से 26 अक्टूबर 2022 तक विधिमान्य रहेगा और विनियमों में यथाविहित पुनः प्रमाणन किया जा सकेगा।

This licence shall be valid from 27 October 2019 to 26 October 2022 and may be recertified as prescribed in the Regulations.

2019 के दिसम्बर माह के  
Signed, Sealed and Dated this

दूसरे  
2<sup>nd</sup>

दिन हस्ताक्षरित एवं मुहरांकित  
December, Two Thousand and Nineteen.



उप महानिदेशक

Deputy Director General

भारतीय मानक ब्यूरो

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

के सी एस बिष्ट / K C S BISHT

उपमहानिदेशक (पू)/Deputy Director General (E)

भारतीय मानक ब्यूरो / BUREAU OF INDIAN STANDARDS

1/14, सी.आई.टी.स्कीम VII एम/1/14, C.I.T. SCHEME VII M

पी. आई. पी. रोड, कांकुरगाछी/VIP ROAD, KANKURGACHI

कोलकाता-700 054/KOLKATA-700 054

